संख्या–४४२७/२६–६–२००४–१२१ सा०/६८

प्रेषक,

श्री प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

१. आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र०
जवाहर भवन, लखनऊ।

२. प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम,
लखनऊ।

३. समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश।

४. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

५. समस्त जिला खाद्य विपणन
अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

६. प्रबन्ध निदेशक,
प्रादेशिक कोऑपरेटिव
फेडरेशन लि०, लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग–६ लखनऊ : दिनांक : २२ दिसम्बर, २००४

विषय : संक्षिप्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित रोस्टर के अनुसार खाद्यान्न / चीनी का उठान एवं वितरण।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–६/२६–खा–६–६६–१२१सा०/६८, दिनांक ०२ जनवरी, ६६ एवं शासनादेश संख्या–७४१/२६–खा–६–६६–१२१सा०/६८, दिनांक ३१ मार्च, १६६६ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश दिनांक २६–१२–६८ द्वारा निर्धारित रोस्टर को प्रभावशाली एवं सुचारू रूप से संचालन के लिये यह निर्देश निर्गत किये गये है कि आवश्यक वस्तु निगम द्वारा आवंटित खाद्यान्न एवं चीनी की मात्रा के उठान के लिये हाट शाखा तथा पी०सी०एफ० को जिस दिन एकाउण्ट पेई चेक से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, उसी दिन निगम को रिलीस आर्डर निर्गत किया जायेगा, ताकि शासनादेश संख्या–२८४७/२६–खा–६–६८–१२१सा०/६८, दिनांक २६–१२–६८, द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार खाद्यान्न एवं चीनी के उठान/वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदढ़ एवं सुचारु रूप से संचालन के लिए जारी किये गये उक्त शासनादेशों के बावजूद भी यह देखने में आ रहा है कि हाट शाखा तथा पी०सी०एफ० द्वारा उक्त शासनादेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। आवश्यक वस्तु निगम द्वारा एकाउण्टपेई चेक से धनराशि जमा करने के बाद भी निगम को उसी दिन रिलीज आर्डर निर्गत नहीं किये जा रहे है, जिससे निर्धारित

रोस्टर के अनुसार खाद्यान्न एवं चीनी का उठान नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है तथा शासनादेश का उल्लंघन एक गम्भीर प्रकरण है।

इस सम्बन्ध में पुनः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आवंटित खाद्यान्न तथा लेबी चीनी के उठान हेतु आवश्यक वस्तु निगम द्वारा हाट शाखा तथा पी०सी०एफ० को एकाउण्ट पेई चेक जिस दिन दिये जाये उसी दिन उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम को खाद्यान्न एवं चीनी का उठान हो सके। एकाउण्ट पेई चेक किसी भी दशा में ''बाउन्स'' नहीं होने चाहिये। यदि ऐसा स्थिति आती है तो इसके लिए प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम स्वयं जिम्मेदार होंगे और उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। रिलीज आर्डर निर्गत करने में यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बरती जाती है तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जायेगी। चेक से प्राप्त भुगतान का मासिक समाधानीकरण (रिकन्सीलेशन) प्रत्येक अगले माह के दूसरे सप्ताह तक आवश्यक वस्तु निगम के जिला प्रबन्धक एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा जिला प्रबन्धक, पी०सी०एफ० संयुक्त रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई स अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव